न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिलकुमार, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 01/2016

रामप्रसाद बनाम **जगनाराम आदि**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: आदेश :– **दिनांकः– 15.06.2018**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सार यह है कि यह कि प्रार्थी के कब्जे, काश्त एवम् खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 378 रकबा 1.45 हैक्टेयर तन ग्राम भूमा छोटा तहसील लक्ष्मणगढ सीकर राज. में अवस्थित है। यह कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 278 में ट्रेक्टर, पशुधन, उंटगाड़ी आदि लाने व ले जाने का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के खेत खसरा नम्बर 376 रकबा 1.93 हैक्टेयर में से होकर जाता है। जिससे होकर प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 378 में ट्रेक्टर, जीप पशुधन, उंटगाड़ी आदि लाते ले जाते रहे है तथा आवागमन करता आ रहा है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में आवागमन का अन्य कोई रास्ता नही है।

यह कि प्रार्थी के खेत में आवागमन के लिये प्रचलित रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें में ए, बी,सी, डी मार्क से दर्शित किया गया है, नक्शा प्रार्थना पत्र का भाग रहेगा। यह कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कई बार कहा कि खेत में आवागमन मे प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड नक्शे में तरमीम करवा दो, अप्रार्थीगण पहले तो हां करते रहे परन्तु दिनांक 20.01.2016 को रास्ते को नक्शें में तरमीम करवाने से स्पष्ट इंकार कर दिया इस कारण श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। यह कि प्रार्थना पत्र दो रूप के न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 378 ग्राम भूमा छोटा में आवागमन के लिये अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के खेत खसरा नम्बर 376 में से 20 फीट चोडे रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड (नक्शे) में किये जाने एवम् रास्ते में किये गये अवरोध को हटाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये एवं प्रकरण में तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को रिपोर्ट हेतु लिखा गया। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 कि ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थीगण सं. 4 ता 6 पर विधिवत तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अप्रार्थी सं. 3 की तलबी शेष है। इसी दौरान पत्रावली आज राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प बगड़ी में पेश हुई। तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के बाद प्रकरण में शेष अप्रार्थीगण की तलबी का कोई औचित्य नजर नहीं आता है। उक्त रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। जिसमें अंकित किया है कि ''ख.नं. 376 जिसमें से रास्ते के बदले भूमि देनी है, की खातेदारी संयुक्त रूप से दर्ज है। जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि कौन खातेदार किस स्थान पर भूमि देगा। सुविधानुसार रास्ते का उपयोग किया जा रहा है। राजस्व रिकार्ड में में भूमि ख.नं. 376 व 378 दोनों संयुक्त खातेदारी में दर्ज है अतः यह स्पष्ट नहीं है कि कौन खातेदार खसरे का कौन सा भाग काम में ले रहा है व बदले में कौन सी भूमि दी जावेगी। अतः अस्पष्ट स्थिति होने के कारण दावा खारिज योग्य है।'' जिससे यह प्रकरण आरटीए धारा 251(क) का प्रतीत नहीं हो रहा है। साथ ही केम्प स्थल पर राज पेराकार एवं पटवार हल्का से विवादित खसरान से संबंधित संपूर्ण राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदी खसरा गिरदावरी रिकॉर्ड मय नक्शा वास्ते अवलोकन हेतु तलब किया गया। कैम्प स्थल पर ही मज्में–आम से उक्त विवादित रास्ते के बारे में पूछताछ की गई। प्रस्तुत रिकॉर्ड व नक्शों के अवलोकन से जाहिर है कि वर्तमान में मौके पर प्रार्थी की रास्ता की मांग धारा 251(क) आरटीए के अनुसार नहीं होने से अनुतोष दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। जिसकी ताईद तलब राजस्व रिकॉर्ड, प्रस्तुत तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ की रिपोर्ट एवं संबंधित दस्तावेजों से होती है। उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चाहा गया प्रस्तावित रास्ता की मांग का पक्ष सबल नहीं है।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सारहीन होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र औचित्यपूर्ण नहीं पाया जाता है। लिहाजा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को कैम्प कोर्ट बगड़ी में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official